नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु स्पेशल स्ट्रे वैकेसी काउन्सिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस पाठ्यक्रम हेतु स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी काउन्सिलिंग चरण के लिये पंजीकरण की प्रक्रिया दिनांक 05.11.2023 से दिनांक 07.11.2023 सांय 08:00 बजे तक आन–लाईन माध्यम से की जायेगी, तत्पश्चात सीट आवंटन भौतिक रुप से श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइन्सेज, पटेल नगर देहरादून में आयोजित किया जायेगा।

सीट आंवटन प्रक्रिया के लिये रिपोटिगं टाइम– 09.11.2023 प्रातः 10:00 से 12:30 बजे तक स्ट्रे वैकेंसी हेतु दिये गये उपरोक्त समय के अनुसार भौतिक रुप से उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपरान्हः 01:30 बजे चस्पा की जायेगी। उसके उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित नही किया जायेगा।

सीट आवंटन :– अपरान्ह. 02:00 बजे से

1. Special Stray Vacancy round स्ट्रे वैकेन्सी काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को पंजीकरण धनराशि **(रुपया 4500/–) केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के आधार पर आन–लाईन जमा करनी अनिवार्य होगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/स्ट्रे चरण/विस्तारित चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वे Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम, पंजीकरण करवाना होगा ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा धरोहर राशि जमा नही करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्ट्रे/विस्तारित चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा नही किये गये है, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन–लाईन आवेदन फार्म भर कर Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
4. जिन अभ्यर्थियों की धरोहर राशि जब्त की गयी है वे अभ्यर्थी दोबारा से धरोहर राशि जमा करवाकर काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकतें है।
5. धरोहर राशि पाठ्यक्रवार/संस्थानवार विवरण विश्वविद्यालय की बैबसाईट पर पृथक से अपलोड किया गया है।

6. स्पेशल स्ट्रे वैकेसी चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की प्रतिभाग करने वाले वे अभ्यर्थी जिन्हे किसी भी संस्थान की सीट आवंटित नही हुयी है।

स्पेशल स्ट्रे वेकैसी चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगेः–

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण/तृतीय चरण काउन्सिलिंग/स्ट्रे /विस्तारित वेकेन्सी के माध्यम से

आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है,

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों को स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में सीट आवंटित हुयी है ओर अभ्यर्थियों द्वारा समय पर आवंटित संस्थान में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की गयी है।

7. <u>संस्थानवार सीट मैट्रिक्स</u>

- संस्थानवार सीटों का अद्यतन कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) सीटो का विवरण (सीट मैट्रिक्स) विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।

8. <u>शुल्क विवरण</u>

अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही ली जायेगी जो कि **F.C H.N.B.U.M.U payble at Dehradun** के नाम देय हागी।

- राजकीय मेडिकल कालेज हेतु– रुपया–50000
- निजी मेडिकल कालेज हेतु– रुपया–900000
- निजी डेन्टल कालेजो हेतु– रुपया–2,00,000

(अन्य किसी माध्यम यथा नकद/चैक/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. आदि के माध्यम से स्वीकार्य नही होगी)

काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में सीट आवंटन के उपरान्त अभ्यर्थी को प्रवेश से संबंधित अन्य सभी कार्यवाही कालेज काउन्टर पर उसी समय पूर्ण करनी होगीं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सस्थानों का शुल्क विवरण भली–भाति जॉच लें।

<u>आरक्षण</u>

10. Special Stray Vacancy round मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
11. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
12. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र आई0एन0सी0,नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।
13. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ

देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

14. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2022-30(1)/2022 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2022/20(1)/2022 दिनांक 07 मार्च 2022 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2022—21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

15. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी, कोटा के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, कोटा का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त रहने/होने पर नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएगीं।

प्रवेश प्रक्रिया

आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को निर्धारित समयान्तर्गत बोर्ड के समक्ष एवं आंवटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होगें, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में सीट छोडने की अनुमति नही होगी।

ADMISSION PROCEDURE

- Demnd Draft or Advance Tution fee
- Candidate should report personally to Counselling Board along with the following documents in original for completion of further admission process within specified period

1- High School (10th) Certificate for Age proof.
2- Intermediate (10+2) Certificate.
3- Intermediate (10+2) Mark sheet
4- NEET UG 20223Admit Card (issued by NTA)
5- NEET UG 2023 Result/Rank letter (issued by NTA)
6- Certificate of Reserve category (SC/ST/OBC/EWS), if applicable. issued by competent authority of Uttarakhand only. OBC certificate must be of NCL category and must be valid on the date of Seat allotment.
7- Certificate of Sub Category (FF/Orphan/DPW), if applicable, issued by competent authority of Uttarakhand only. DPW benefit is applicable only for Ex- serviceman from armed forces. (serving personnel & Paramilitary forces are not eligible for DPW benefit)
8- PWD category certificate issued by the Special Medical Board constituted by the Director General Medical Health & Family welfare, Uttarakhand only, if applicable.
9- Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.(please refer to Information bulletin)
10- Domicile Certificate (For Uttarakhand candidate only, if applicable(issued by competent authority of Uttarakhand only)
11- Valid ID proof (preferably Aadhaar Card/Passport/ PAN card/driving license etc)
12- Other document as per the requirement of the concerned college (kindly visit the college website or contact the concerned person)
13- Payment of remaining fee amount (tuition fee/hostel/mess charges etc as per the allotted college) to be deposited at the admitted college.

  - After doing the above mentioned formalities/procedure, the admission process will only be completed once the candidate gets the admission letter issued by the concerned college within the specified time period mentioned in the allotment letter. Hence, the candidates are required to make necessary arrangement from his/her side

well in time to complete the whole admission process within the specified time period of that particular round.

अन्य सामान्य नियम / शर्ते

16. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।
17. Special Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार / एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार / एन0टी0ए0 / एम0सी0सी0 / एन0एम0सी0 / डी0सी0आई0 / मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
19. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना / जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना / जानकारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 05.11.2023

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2023
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

Learn to Serve